

बिहार सरकार

कृषि विभाग

73 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 25-07-2013

MAIL/FAX

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-14/2013-  
प्रेषक,

रामजी सिंह  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी,

पटना/नालन्दा/आरा (भोजपुर)/बक्सर/रोहतास/कैमूर (भभुआ)/गया/अरवल/जहानाबाद/  
औरंगाबाद/नवादा/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/  
सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/लखीसराय/जमुई/शेखपुरा  
/मुंगेर/भागलपुर/बांका/सहरसा/सुपौल/मधेपरा/पूर्णिया/अररिया/किशनगंज/कटिहार/  
खगड़िया/

विषय : किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2013-14 में 5073.735 लाख रु० (पचास करोड़ तिहतर लाख तिहतर हजार पाँच सौ रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जाति के किसान सलाहकार के लिए 671.01 लाख रु० (छः करोड़ एकहतर लाख एक हजार रु० मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु तत्काल ₹1,35,54,402 (एक करोड़ पैंतीस लाख चौवन हजार चार सौ दो रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3559 दिनांक 15.07.2013 द्वारा किसान सलाहकार योजना का वर्ष 2013-14 में 5073.735 लाख रु० (पचास करोड़ तिहतर लाख तिहतर हजार पाँच सौ रु० मात्र) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जाति के किसान सलाहकार के लिए 671.01 लाख रु० (छः करोड़ एकहतर लाख एक हजार रु० मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक-07 (आवंटन) दिनांक-07.05.2013 द्वारा ₹1,28,45,000 आवंटित की जा चुकी है। पुनः व्यय हेतु तत्काल ₹1,35,54,402 (एक करोड़ पैंतीस लाख चौवन हजार चार सौ दो रु०) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त तत्काल ₹1,35,54,402 (एक करोड़ पैंतीस लाख चौवन हजार चार सौ दो रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-1 उपशीर्ष-0106-इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड-P2401007890106 राज्य योजना, स्कीम कोड-AGR 50 22 विषयशीर्ष-27 01 लघु कार्य में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि 800.00 लाख रुपये में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अट्रोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

/कृ., पटना, दिनांक 25-07-2013

ज्ञापांक

73 (आवंटन)

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित।

सचिव

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

73 (आवंटन)

/क०, पटना, दिनांक 25-07-2013

प्रतिलिपि : विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार), बिहार पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/कुलपति रा०क०वि०वि०, समस्तीपुर/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/उप कृषि निदेशक, (बीज), बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/24/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

73 (आवंटन)

/क०, पटना, दिनांक 25-07-2013

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई०-मेल करने हेतु प्रेषित।

सूचना

(15/24/13)

सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूचित जाति लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 का आवंटन विवरणी।  
विपत्र कोड-P2401007890106

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्वीकृत्यादेश संख्या-2320 दिनांक-29.04.2013 द्वारा सामुदायिक नर्सरी हेतु स्वीकृत राशि	आवंटनादेश संख्या-7 (आवंटन) दिनांक-07.05.2013 द्वारा आवंटित राशि	स्वीकृत्यादेश संख्या-3559 दिनांक-15.07.2013 द्वारा किसान सलाहकार योजना के लिए स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि
1	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	3,38,000	3,38,000	25,83,000	5,21,766
2	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	3,38,000	3,38,000	18,04,000	3,64,408
3	जिला कृषि पदाधिकारी, (आरा) भोजपुर।	3,38,000	3,38,000	17,22,000	3,47,844
4	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	3,38,000	3,38,000	12,36,000	2,49,672
5	जिला कृषि पदाधिकारी, सहायस।	3,38,000	3,38,000	15,94,000	3,21,988
6	जिला कृषि पदाधिकारी, (कैमूर) भोजपुर।	3,38,000	3,38,000	12,73,000	2,57,146
7	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	3,38,000	3,38,000	22,35,000	4,51,470
8	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	3,38,000	3,38,000	5,40,000	1,09,080
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	3,38,000	3,38,000	8,06,000	1,62,812
10	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद।	3,38,000	3,38,000	16,12,000	3,25,624
11	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	3,38,000	3,38,000	16,30,000	3,29,260
12	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	3,38,000	3,38,000	26,10,000	5,27,220
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	3,38,000	3,38,000	24,55,000	4,95,910
14	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	3,38,000	3,38,000	21,43,000	4,32,886
15	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	3,38,000	3,38,000	32,15,000	6,49,430
16	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	3,38,000	3,38,000	33,98,000	6,86,396
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	3,39,000	3,39,000	25,10,000	5,07,020
18	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	3,38,000	3,38,000	22,17,000	4,47,834
19	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	3,38,000	3,38,000	4,40,000	88,880
20	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)।	3,38,000	3,38,000	26,29,000	5,31,058
21	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	3,38,000	3,38,000	27,02,000	5,45,804
22	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	3,38,000	3,38,000	32,24,000	6,51,248
23	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	3,38,000	3,38,000	32,42,000	6,54,884
24	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	3,38,000	3,38,000	21,16,000	4,27,432
25	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय।	3,38,000	3,38,000	5,50,000	1,11,100
26	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	3,38,000	3,38,000	11,54,000	2,33,108
27	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	3,38,000	3,38,000	3,85,000	77,770
28	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर।	3,38,000	3,38,000	8,43,000	1,70,286
29	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	3,38,000	3,38,000	20,33,000	4,10,666
30	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका।	3,38,000	3,38,000	13,92,000	2,81,184
31	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	3,38,000	3,38,000	12,55,000	2,53,510
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	3,38,000	3,38,000	16,03,000	3,23,806
33	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	3,38,000	3,38,000	13,83,000	2,79,366
34	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	3,38,000	3,38,000	16,12,000	3,25,624
35	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	3,38,000	3,38,000	14,56,000	2,94,112
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	3,38,000	3,38,000	8,43,000	1,70,286
37	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	3,38,000	3,38,000	17,77,000	3,58,954
38	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	3,38,000	3,38,000	8,79,000	1,77,558
	कुल	1,28,45,000	1,28,45,000	6,71,01,000	1,35,54,402

कुल-(एक करोड़ पैंतीस लाख चौवन हजार चार सौ दो रू० मात्र)

सुस

(रामजी सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव।